न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

महन्या बनाम रूपलीराम

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु० न० विविध 15/23	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक...20/2/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
20/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक...4/4/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
4/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक...22/5/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
22/5/24	पत्रा० पेश हुई। पत्रा० पूर्वानुसार कार्यवाही हेतु दिनांक 3-6-24 को पेश हो	
3/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक...19-6-2024 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
19/6/24	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई, निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल हो, पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर होकर, [illegible] हो उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व ... बसवा (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या 15/2023
प्रकरण दर्ज दिनांक : 19.6.2023
निर्णय दिनांक 19.6.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. महन्या पुत्र नाथ्या जाति मीना निवारी ऐचेडी तहसील बसवा
2. रामजीलाल पुत्र नाथ्या मीना निवारी ऐचेडी तह.बसवा जिला–दौसा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. खयालीराम पुत्र बकरया जाति मीना निवासी ऐचेडी तह.बसावा (दौसा)
2. अमरसिंह पुत्र बकरया जाति मीना निवारी ऐचेडी तह.बसावा (दौसा)
3. शिवाराम पुत्र बकरया जाति मीना निवारी ऐचेडी तह.बसवा (दौसा)
4. नाथी पत्नी बकरया जाति मीना निवारी ऐचेडी तह.बसवा (दौसा)
5. काल्या पुत्र प्रभात्या जाति मीना निवारी ऐचेडी तह.बसवा (दौसा)
6. शम्भु पुत्र प्रभात्या जाति मीना निवारी ऐचेडी तह.बसवा (दौसा)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला–दौसा

(अप्रार्थीगण)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19.6.2024

उपस्थिति :–1. प्रार्थीगर्ण की ओर से एडवाकेट
श्री अमरसिंह गुर्जर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 247 खसरा नंबर 163 रकबा 0.16 हैक्टयर, 164 रकबा 0.27 हैक्टयर, 165 रकबा 0.19 हैक्टयर, 166 रकबा 0.08 हैक्टयर, 167 रकबा 0.14 हैक्टयर, 168 रकबा 0.17 हैक्टयर, 169 रकबा 0.23 हैक्टयर, 170 रकबा 0.04, 171 रकबा 0.03 हैक्टयर, 172 रकबा 0.03 हैक्टयर, 173 रकबा 0.12 हैक्टयर, 174 रकबा 0.21 हैक्टयर, कुल किता 12 कुल रकबा 1.67 हैक्टयर भूमि ग्राम ऐचेडी तहसील बसवा में स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं । इस भूमि का प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं किंतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 201, 202, 209, 210, 211 प्रार्थीगण की भूमि के लगते हुए खसरा नंबर हैं । जिनसे सीमा के विवाद होते रहते हैं । प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.5.2022 को सीमाज्ञान भी करवा लिया है किंतु अप्रार्थीगण इस सीमाज्ञान को गलत बताते हैं । एवं प्रार्थीगण की भूमि में घुसने का जबरन प्रयास करते हैं । लिहाजा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 247 खसरा नंबर 163 रकबा 0.16 हैक्टयर, 164 रकबा 0.27 हैक्टयर, 165 रकबा 0.19 हैक्टयर, 166 रकबा 0.08 हैक्टयर, 167 रकबा 0.14 हैक्टयर, 168 रकबा 0.17 हैक्टयर, 169 रकबा 0.23 हैक्टयर, 170 रकबा 0.04, 171 रकबा 0.03 हैक्टयर, 172 रकबा 0.03 हैक्टयर, 173 रकबा 0.12 हैक्टयर, 174 रकबा 0.21 हैक्टयर, कुल किता 12 कुल रकबा 1.67 हैक्टयर भूमि ग्राम ऐचेडी की पत्थरगढी हेतु आदेश फरमाये जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश होने पर, प्रकरण को नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण 1 से 6 वाद तामील भी अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही में अमल में लाई गई ।

पत्रावली का अवलोकन किया, मुताबिक मौका पर्चा वास्ते सीमाज्ञान द्वारा पटवारी हलका ऐचेडी द्वारा दिनांक 26.5.2022 में अंकन किया गया है कि "आज दिनांक26.5.2022 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय बसवा के आदेश कमांक भू.अ. /2022/7352 दिनांक 24.5.2022 की पालना में ग्राम ऐचेडी में स्थित खसरा नंबर 163 से 174 कुल किता 12 रकबा 1.67 हैक्टयर के मौके पर पहुँचा । मौके पर प्रार्थना पत्र देहन्दा श्री रामजीलाल पुत्र नाथ्या जाति मीना सा.देह एवं अन्य अन्य पडौसी खातेदार उपस्थित आये । सर्वप्रथम राजस्व नक्शे से मौका निरीक्षण किया गया । फिर खसरा नंबर 797 गै.मु. चाह से खसरा नंबर 207, 206, 230 का तिगेडा का मिलान किया गया । एवं खसरा नंबर 112 गै.मु.चाह से खसरा नंबर 174, 175 व 194 के तिगेडे का मिलान किया गया । जो मौके पर सही पाये गये । उपरोक्त सभी विन्दुओं को मुस्तकिल बिन्दु मानकर खसरा नंबर 163 से 174 कुल किता 12 रकबा 1.67 हैक्टयर का सीमाज्ञान किया गया एवं सभी कौनो पर निशानात लगवाये गये एवं सीमा समझाई गई । मौका पर्चा तैयार कर पढकर सुनाया एवं उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये । "

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई । प्रार्थी पक्ष के द्वारा अपनी बहस में इन तथ्यों को न्यायालय के सम्मुख रखा गया कि प्रार्थिया द्वारा जो प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी पेश किया है, वह विधिसम्मत व न्यायोचित है, लिहाजा पत्थरगढी करने के आदेश प्रसारित किये जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के कम में पटवारी हलका ऐचेडी की रिपोर्ट अनुसार दिनांक26.5.2022 को खसरा नंबर 797 गै.मु.चाह से खसरा नंबर 207, 206, 230 का तिगेडा का मिलान करकेएवं खसरा नंबर 112 गै.मु.चाह से खसरा नंबर 174, 175 व 194 के तिगेडे का मिलान करके, उपरोक्त सभी बिन्दुओं को मुस्तकिल बिन्दु मानकर खसरा नंबर 163 से 174 कुल किता 12 रकबा 1.67 हैक्टयर का सीमाज्ञान किया गया एवं सभी कौनो पर निशानात लगवाये गये एवं सीमा समझाई गई । इससे स्पष्ट है कि उक्त खसरा नंबरान ग्राम ऐचेडी का सीमाज्ञान किया जा चुका है ।

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा भूमि खाता संख्या 247 खसरा नंबर 163 रकबा 0.16 हैक्टयर, 164 रकबा 0.27 हैक्टयर, 165 रकबा 0.19 हैक्टयर, 166 रकबा 0.08 हैक्टयर, 167 रकबा 0.14 हैक्टयर, 168 रकबा 0.17 हैक्टयर, 169 रकबा 0.23 हैक्टयर, 170 रकबा 0.04, 171 रकबा 0.03 हैक्टयर, 172 रकबा 0.03 हैक्टयर, 173 रकबा 0.12 हैक्टयर, 174 रकबा 0.21 हैक्टयर, कुल किता 12 कुल रकबा 1.67 हैक्टयर भूमि ग्राम ऐचेडी तहसील बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवावें, एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी, बसवा
जिला–दौसा